छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक– 07/रेरा/2018/ रायपुर, दिनांक 26/07/2018

//प्रेस विज्ञप्ति//

रेरा ने पंजीयन शुल्क के दो गुणा के बराबर किया विलंब शुल्क, अपंजीकृत प्रोजेक्ट्स पर सख्ती बढ़ने के आसार

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 (1) में प्रमोटर्स द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रेरा में पंजीकृत किये बिना यथास्थिति, किसी प्लॉट, अपार्टमेंट या भवन या उसके किसी भाग को किसी भी रीति में विज्ञापित, विपणित, बुकिंग, विक्रय या विक्रय का ऑफर नहीं करने संबंधी प्रावधान वर्णित हैं। इसके परन्तुक में ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन हेतु अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से तीन मास की अवधि अर्थात् दिनांक 31 जुलाई, 2017 के भीतर प्रमोटर्स द्वारा प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी प्रावधान भी स्पष्ट वर्णित हैं।

इसके तहत् छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के पूर्व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की गयी थी। छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा भी अपनी स्थापना के तुरंत पश्चात् फरवरी, 2018 से रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही प्रारंभ कर इस हेतु दिनांक 31 मई, 2018 तक की समय–सीमा प्रमोटर्स को प्रदान की गई थी। इस अवधि के पश्चात् रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत किये गये ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स में रेरा द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क के 50% राशि के बराबर विलंब शुल्क निर्धारित किया गया था। **रेरा ने 30 जून तक रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत न होने वाले ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए विलंब शुल्क बढ़ाते हुए इसे पंजीयन शुल्क के दो गुणा के बराबर कर दिया है। अर्थात् ऐसे ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स जिनके रेरा में रजिस्ट्रेशन हेतु अब तक आवेदन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, उनके रजिस्ट्रेशन हेतु संबंधित प्रमोटर 30 अगस्त, 2018 तक पंजीयन शुल्क के दो गुणा के बराबर विलंब शुल्क सहित रेरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। रेरा ने उक्त विलंब शुल्क की न्यूनतम सीमा भी रूपये 25,000/– निर्धारित की है।**

रेरा द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ से विगत वर्षों में राज्य में स्वीकृत सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की विकास अनुज्ञा संबंधी संकलित जानकारी मंगाई गई है तथा इसके आधार पर रेरा के द्वारा सभी अपंजीकृत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिनियम की धारा–59 में रेरा में रजिस्ट्रेशन न कराने वाले प्रोजेक्ट्स पर उसकी कुल लागत के 10% तक जुर्माने के साथ 3 वर्ष के कारावास का भी प्रावधान वर्णित है। छत्तीसगढ़ रेरा की यह मंशा है कि राज्य के सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स स्वस्फूर्त नियमानुसार रजिस्टर्ड हो जावें। रजिस्ट्रेशन हेतु प्राधिकरण द्वारा बेहद पारदर्शी व ऑनलाईन व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है।

प्राधिकरण द्वारा विलंब शुल्क के साथ 30 अगस्त, 2018 तक आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि का लाभ ऐसे सभी प्रमोटर्स को मिलेगा, जिन्होंने अपने ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स का रेरा में रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं कराया है।

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण

रायपुर.